फर्द अहकाम

न्यायालय लालाराम बनाम कंवरलाल

वाद 127/2015

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
4/3/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित मूलवाद के साथ दिनांक 26/3/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
26/3/24	पत्रावली पेश नहीं। एसओ सम्बन्ध अन्य मुख्य [illegible] है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/5/24 को पेश हो।	
20/5/24	पत्रावली पेश है। अधिवक्ता उभयपक्ष [illegible] दिनांक 11/6/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
11/6/24	पत्रावली पेश है। वकील उभयपक्ष को बहस T.X पूर्व में सुनी जा चुकी है। बहस वकील उभयपक्ष व पत्रावली का गम दस्तावेजात अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना अस्वीकार निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर हुई [illegible] शामिल नथी [illegible] दफ्तर। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:02:06 IST
Reason: SelfAttested